UPMP040078722026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

Criminal Misc. Cases/1122/2026

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रंजीत आदि

दिनांक 22-04-2026

अभियुक्तगण रंजीत व सुग्रीव की ओर से अपराध संख्या 165/2026 अन्तर्गत धारा- 191(2),115(2), 352, 351(3) 125, बी.एन.एस. थाना करहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा अभियेाजन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया। जिसके अनुसार अपराध गंभीर व अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्तगण उक्त अपराध में वांछित है।अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा मुव. 25,000/-रूपए का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक-एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक 22-04-2026

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

आशुतोष कुमार (स्टेनो)